

02.09.2024:—पत्रावली पेशी में ली गई। उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पत्रावली में अधवक्ता की बहस एवं साक्ष्य सबूतों को मध्यनजर रखते हुए। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाये जाने के उपरान्त शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय कि पालना में पत्र जारी कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



न्यायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़